राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2060/2022

श्रीमती भगवती मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), जयपुर (राज.)।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू, जिला जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.06.2022
आदेश की दिनांक : 03.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दीनदयाल खण्डेलवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा गया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 17.02.2016, 06.04.2016 एवं 25.04.2016 को अपास्त फरमाया जावे और आदेश दिनांक 11.01.2022 एवं 13.01.2022 को संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.07.1994 से सेवा अवधि की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी की दिव्यांता को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग अधिनियम के तहत प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति आदेश दिनांक 13.07.1994 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 14.07.1994 के द्वारा उसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, (Paraliuya sansan) पंचायत समिति बालोतरा पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने उच्च अधिकारी स्तर पर 20 वर्ष की सेवा होने पर प्रशिक्षक अध्यापक के रूप में विचार करने हेतु निवेदन किया।

अपीलार्थी वास्तविक स्थिति को पत्र दिनांक 27.05.2015 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जयपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलार्थी की सेवा अभिलेख का उल्लेख किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान मामले में पूर्व में भी व्यक्ति को 10 वर्ष की सेवापूर्ण होने पर नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया है। जो अनुलग्नक–9 से प्रकट होता है और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। परन्तु उक्त लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 3435/2017 भगवती मीणा बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत की। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.03.2020 पारित करते हुए यह निर्देश दिया है कि अपीलार्थी को बीएसटीसी या समकक्ष योग्यता हेतु भेजे और उक्त योग्यता अर्जित उपरान्त प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के वेतन निर्धारण करेगा और समस्त लाभ प्रदान करे। उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने निर्णय लेते हुए यह कथन किया कि यह कार्यालय उक्त कोष करने हेतु अपीलार्थी को भेजने के लिये सक्षम नही है। अन्त में अपीलार्थी ने दिनांक 31.03.2021 को प्रत्यर्थी विभाग के कार्यालय से अनुमति प्राप्त उपरान्त बीएसटीसी योग्यता अर्जित की और उक्त योग्यता अर्जित उपरान्त मामले पर विचार करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में विचार करने हेतु निरंतर निवेदन किया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनका कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य बनाम नेशनल फैडरेशन ऑफ ब्लाईन्ड व अन्य, 2013 (10)एससीसी–722 में पारित निर्णय में ऐसे मामलों को उचित नहीं माना है। चूँकि अपीलार्थी दिव्यांग कार्मिक है और इस प्रकार अपीलार्थी को सेवा लाभ आदि से वंचित रखा जाना नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 17.02.2016, 06.04.2016 एवं 25.04.2016 को अपास्त फरमाया जावे और आदेश दिनांक 11.01.2022 एवं 13.01.2022 को संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.07.1994 से सेवा अवधि की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी की दिव्यांता को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग अधिनियम के तहत प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1994 की है तथा अपीलार्थी ने जिस कार्मिक के संबंध में कथन किया है कि वह कार्मिक वर्ष 1985 में

नियुक्त की गई थी तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त कार्मिक को वर्ष 1995 से प्रशिक्षक मानते हुए वर्ष 1995 की पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धिया स्वीकृत की गई है। इस प्रकार उक्त वर्णित प्रावधान वर्ष 2004 में लागू थे। परन्तु इससे पूर्व ही उक्त प्रावधान को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में प्रत्याहारित कर लिया गया। अपीलार्थी नियमानुसार प्रशिक्षित होने की दिनांक से ही चयनित वेतनमान/एसीपी प्राप्त करने के अधिकारी था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 27644/2018 श्रीमती बीना शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 21.12.2018 में यह आदेश पारित किया है कि प्रशिक्षण योग्यता अर्जित करने की तिथि से ही प्रार्थी चयनित वेतनमान आदि का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। कार्मिक विभाग के वर्णित परिपत्र दिनांक 01.12.2021 के द्वारा नवीन भर्तियों तथा पदोन्नति में दिव्यांगजनों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। वर्णित आदेश में दिव्यांगजनों हेतु वेतन भत्तों तथा एसीपी के संबंध में कोई पृथम प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष निराधार है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रत्यर्थी विभाग को स्पष्ट रूप से बाध्य किया है कि प्रशिक्षण कोर्स उपरान्त अपीलार्थी को प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में माना जावे और 10 वर्ष की सेवापूर्ण होने पर उसे समस्त सेवा लाभ दिये जावे परन्तु प्रत्यर्थी विभाग उक्त आदेश की पालना करने में विफल रहा। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवंचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति आदेश दिनांक 13.07.1994 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 14.07.1994 के द्वारा उसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, (Paraliuya sansan) पंचायत समिति बालोतरा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने उच्च अधिकारी स्तर पर 20 वर्ष की सेवा होने पर प्रशिक्षक अध्यापक के रूप में विचार करने हेतु निवेदन किया। परन्तु उसे नहीं किया गया। अपीलार्थी के समान मामले में पूर्व में भी व्यक्ति को 10 वर्ष की सेवापूर्ण होने पर

नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया है। जाहं तक अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नही दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1994 की है और अपीलार्थी ने जिस कार्मिक के संबंध में 10 वर्ष की सेवापूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का जो उल्लेख किया है वह कार्मिक वर्ष 1985 में नियुक्त की हुई थी तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त कार्मिक को वर्ष 1995 से प्रशिक्षक मानते हुए वर्ष 1995 की पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धिया स्वीकृत की गई है। इस प्रकार उक्त वर्णित प्रावधान वर्ष 2004 में लागू थे। परन्तु इससे पूर्व ही उक्त प्रावधान को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में प्रत्याहारित कर लिया गया। अपीलार्थी नियमानुसार प्रशिक्षित होने की दिनांक से ही चयनित वेतनमान/एसीपी प्राप्त करने के अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 27644/2018 श्रीमती बीना शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 21.12.2018 में यह आदेश पारित किया है कि प्रशिक्षण योग्यता अर्जित करने की तिथि से ही प्रार्थी चयनित वेतनमान आदि का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। कार्मिक विभाग के वर्णित परिपत्र दिनांक 01.12.2021 के द्वारा नवीन भर्तियों तथा पदोन्नति में दिव्यांगजनों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। वर्णित आदेश में दिव्यांगजनों हेतु वेतन भत्तों तथा एसीपी के संबंध में कोई पृथम प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के तर्को में कोई बल नही पाते है। अतः उपरोक्त तर्को के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य